रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269376
CG-DL-E-16012026-269376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2026/पौष 26, 1947
No216] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2026/PAUSHA 26, 1947

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

का.आ. 238(अ).— भारत के राजपत्र, में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2575 (अ), तारीख 12 जून 2025 द्वारा एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख तारीख 13 जून 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के संबंध में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अरावली पर्वतमाला के सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक में स्थित है और

सुरम्य झील शहर उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से, अभयारण्य 73°02′ से 73°30′ पूर्वी देशांतर और 25°00′ से 25°40′ उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह 610.528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राजस्थान राज्य के राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों के कुछ हिस्सों को घेरता है;

और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम में स्थित अरावली के पहाड़ी जंगलों और थार रेगिस्तान के बीच एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ एक अवरोधक की तरह काम करती हैं, जो रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती हैं। पहाड़ी के ऊपर स्थित प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अभयारण्य का पूर्वी भाग अधिकतर समुद्र तल से 3500 फीट से अधिक ऊँचाई वाली पर्वतमाला है, जबकि अभयारण्य का पश्चिमी भाग मारवाड़ के मैदानों से सटा हुआ है;

और अभयारण्य में विविध स्थलाकृति है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह देश के दो प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों के बीच एक विभाजन रेखा भी बनाता है। इसका पूर्वी भाग बनास नदी का स्रोत माना जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी ढलान पर वर्षा का पानी सुकड़ी, मिठड़ी, सुमेर और कोट जैसी छोटी नदियों के रूप में बहती है, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियाँ बनती हैं जो अंततः अरब सागर में विलीन हो जाती हैं;

और अभयारण्य समृद्ध और अद्वितीय जैव विविधता का समर्थन करता है जो जंगली सूअर (सस स्क्रोफा), ग्रे मस्क श्रू (संचस मुरिनस), चमगादड़ (सायनोप्टेरस स्फिंक्स), फ्लाइंग फॉक्स (पेरोपस गिजेंटिकस), सामान्य तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), धारीदार लकड़बग्घा (हएना हयाना), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), पांच धारीदार ताड़ गिलहरी (फनमबुलस पेनांती), जैसी प्रजातियों का घर है। भारतीय पैंगोलिन (मैनिस कैरासिकाउडाटा), भारतीय लोमड़ी (वुल्पेस बेंगालेंसिस), आम नेवला (हर्पेस्टेस एडवर्डसी), नीला बैल (बोसेलाफस ट्रैगोकैमेलस), भारतीय साही (हिस्ट्रिक्स इंडिका), चिंकारा (गजेला गजेला), सियार (कैनिस ऑरियस), भारतीय छोटा सिवेट (विवारिकुला इंडिका) आदि। जबकि अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पक्षी हैं पेंटेड फ्रैंकोलिन (फ्रैंकोलिनस पिक्टस), ग्रे फ्रैंकोलिन (एफ. पोंडिसेरियनस), कॉमन क्वेइल (कोटर्निक्स कोटर्निक्स), रेन क्वेइल (सी. कोरोमेडेलिक), रॉक बुश क्वेइल (पेर्डिकुला आर्गाउंडाह), पीले पैर वाले बटन क्वेइल (टर्निक्स टंकी), बैरड बटन क्वेइल (टी. सस्किटेटर), भारतीय मोर (पावो क्रिस्टेटस), रूडी शेल्डक (टैडोराना फेरुगिनिया), गडवाल (अनास स्ट्रेपेरा), कॉमन टील (ए. क्रेका), गार्गनी (ए. क्वेर्केडुला), आदि;

और अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ हैं खैर (बबूल कैटेचू), रोंझ (बबूल ल्यूकोफ्लोआ), देसी बावलिया (बबूल निलोटिका), कुमता (बबूल सेनेगल), हल्दू (एडिना कॉर्डिफोलिया), बिली (एगल मार्मेलोस), अर्दुसा, पाबा (ऐलेन्थस एक्सेलसा), अंकोल (अलंगियम साल्विफोलियम), ब्लैक सिरिस (एल्बिजिया) लीबेक), सफेद सिरिस (अल्बिजिया ओडोरैटिसिमा), सफेद सिरिस (अल्बिजिया प्रोसेरा), सीताफल (एनोना सेक्कामोसा), ढोकड़ा (एनोजीसस पेंडुला), धावड़ा (एनोजीसस लैटिफोलिया), अद्रुख, इंडोक (एनोजीसस सेरीसिया), नीम (अजादिरैक्टा इंडिका), हिंगोट (बालानाइट्स एजिप्टिका), सेमल (बॉम्बैक्स सीइबा), सालार (बोसवेलिया सेराटा), खाखरो (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा), करमेला (कैसिया फिस्टुला), कासिद (कैसिया सियामिया), गुंडा, लिसोडा (कॉर्डिया मिक्सा), वर्ना (क्रेटेवा रिलिजियोसा), सिस्सू (डाल्बर्गिया सिस्सू), टिमरू (डायस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन), टैंबोलिया (एह्रेटिया लाविस), आंवला (एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस), ढेड

खाखरो (एरिथ्रिना सुबेरोसा), उमरा (फिकस रेसमोसा), पिपलो (फिकस रिलिजियोसा), कंकण (फ्लाकोर्टिया मोंटाना), डिकामारी (गार्डेनिया रेजिनीफेरा), खाद धामन (ग्रेविया हिरसुता) आदि;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में निर्दिष्ट कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र, विस्तार और सीमा को पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग तथा उनके संचालन और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना में आगे पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित, राजस्थान राज्य में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास शून्य से एक किलोमीटर के क्षेत्र को कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना में आगे पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है: -

(1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.— (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास शून्य से एक किलोमीटर तक है, जिसमें 243 वर्ग किलोमीटर का पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र सम्मिलित है। अभयारण्य की उत्तरी सीमा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की शून्य सीमा रावली टॉडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के साथ साझा सीमा के कारण है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इस प्रकार है:

उत्तर	0 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	1.00 किलोमीटर
पूर्व	1.00 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1.00 किलोमीटर
दक्षिण	1.00 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	1.00 किलोमीटर
पश्चिम	1.00 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	1.00 किलोमीटर

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **उपाबंध-I** में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र सीमा विवरण सहित **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख** और **उपाबंध-II ग** में संलग्न हैं।

(4) संरक्षित क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक क्रमशः **उपाबंध-III** और **उपाबंध-IV** में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले 94 गांवों की सूची **उपाबंध-V** में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकीसंवेदी जोन के- लिए आंचलिक महायोजना. —(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और भीतर राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार और अधिसूचित करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तत्समय प्रवृत विधि के लिए सुसंगत विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप यदि कोई हों, तैयार किया जायेगा।

(3) आंचलिक महायोजना को उक्त योजना में पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण विचारों को समाहित करने के लिए, राज्य सरकार निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात्:

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव

(iii) शहरी विकास;

(iv) पंचायती राज और ग्रामीण विकास;

(v) पर्यटन;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(x) नगर पालिका; और,

(xi) लोक निर्माण विभाग और राजमार्ग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

IndiaCode

(5) इस आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किये जायेंगे जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) इस आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स् थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस् में, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी के पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय समुदाय की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित किया जाएगा और संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-कालिक होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक प्रति निर्देश दस्तावेज का काम करेगी जिससे वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय .— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए अभिज्ञात उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नही होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार या राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिसूचना के उपबंधों के द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्राम उद्योग सहित कुटीर उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं; और

(v) पैरा 4 में दी गई संवर्धित क्रियाकलाप और संबंधित विनियमित क्रियाकलाप;

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य विनियमों और विनियमों के अनुमोदन के बिना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं होगी;

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में उपसंजात किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, संघ शासित राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की संसूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी;

परंतु यह भी कि त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ;

(ख) वनीकरण तथा पर्यावास पुनः स्थापन कार्यकलापों के माध्यम से अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ;

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.— सभी प्राकृतिक झरनों या नदियों या चैनलों जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन. —(क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी- संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो: किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा,

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना के अनुमोदन नहीं मिल जाता, तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को स्थल-विशिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) प्राकृतिक विरासत .— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.— पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.— पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएंगा ।

(7) वायु प्रदूषण.— पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण का अनुपालन वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सरण. — पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उपचारित बहिःस्राव का निर्वहन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.— ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, उपबंधों अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पर्यावरणीय रीति में पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात स्थल पर किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.— पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.— पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317 (अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट.— पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) वाहन यातायात.— वाहन यातायात को पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशिष्ट उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहन यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन प्रदूषण.— वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन जैसे सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां. — (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016, द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों का संवर्धन जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. —पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.— पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा पर्यावरण, वन और वन्यजीवों से संबंधित भारत सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों, पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तत्समय प्रवृत विधियों द्वारा विनियमित होंगी, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट है; अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयाँ ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने सहित स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने को छोड़कर, सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है; (ख) खनन प्रचलन, जो टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 के मामले में; तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (आदेशों) के अनुसार, जो गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 और आईए संख्या 1000/2003 तारीख 03 जून, 2022 और उसके बाद आईए संख्या 131377/2022 निर्णय तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के मामले में दिए गए थे; माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) पैदा करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में नये उद्योगों और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। विद्यमान उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकियां और ध्वनि अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए।
3	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध ।
4	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध ।
5	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों	प्रतिषिद्ध ।

India Code

	का निस्सरण ।	
6	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
7	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9	नई पवन चक्कियों का निर्माण	प्रतिषिद्ध।
10	फर्मों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट पालन इत्यादि की स्थापना।	प्रतिषिद्ध; परंतु कि स्थानीय किसानों द्वारा छोटे पैमाने पर कुक्कुट पालन समय-समय पर यथा संशोधित सीपीसीबी मार्गदशक सिद्धांतों 2016 के अनुसार स्थापित किए जा सकते हैं।
		ख.विनियमित क्रियाकलाप
11	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु व अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए होटलों, रिसोर्टों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
12	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर दायरे में या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी: परंतु यह और कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रयोज्य नियमों और विनियमों,

IndiaCode

		यदि कोई हो, के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन से विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम ही रखा जाएगा। (ख) एक किलोमीटर के दायरे से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
13	लघु पैमाने के प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग, तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले जोखिम रहित, लघु एवं सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प-कृषि, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योगों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
14	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर से वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
15	वन उत्पाद या काष्ठेतर वन उत्पाद का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
16	विद्युत एवं संचार टावरों का निर्माण तथा केबल बिछाना एवं अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबलिंग का संवर्धन किया जा सकता है)।
17	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के साथ किया जाएगा।
18	विद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के साथ किया जाएगा।
19	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर हॉटर बलून, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि का उड़ान भरना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।

IndiaCode

20	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
21	रात के समय वाहनों का आवागमन।	लागू विधियों के अधीन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
22	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग, जलीय कृषि और मत्स्य पालन के साथ-साथ की जा रही कृषि और बागवानी कार्य प्रथाएँ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के उद्देश्य से लागू विधियों के अधीन अनुमति दी गई है।
23	फर्मों, कॉर्पोरेटों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक पशुधन और मुर्गीपालन की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित।
24	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों का निर्वहन।	उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, अनुपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों के निर्वहन को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
25	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
26	कृषि या अन्य उपयोग के खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
27	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
28	विदेशी प्रजातियों का समावेशन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
29	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
30	व्यावसायिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
31	कृषि प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
32	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
33	वायु, वाहन और ध्वनि प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित।

ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
34	जल संग्रहण ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
35	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
36	सभी कार्यकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
37	कुटीर उद्योग जिसमें ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
38	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईंधन का उपयोग।	बायो-गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
39	कृषि-वानिकी।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
40	बागवानी और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
41	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
42	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
43	अवक्रमित भूमि/वन/पर्यावास की बहाली।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
44	पर्यावरण जागरूकता।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

5.निगरानी समिति- पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थात्...

क्र.स.	निगरानी समिति के घटक	पद
1	जिला कलेक्टर, राजसमंद	अध्यक्ष, पदेन;
2	पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
3	विरासत संरक्षण सहित वन्यजीवन के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
4	नगर नियोजन विभाग के प्रतिनिधि, राजसमंद	सदस्य, पदेन;

5	लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि, राजसमंद	सदस्य, पदेन;
6	उपविभागीय अधिकारी कुंभलगढ़/देसूरी/बाली/गोगुन्दा	सदस्य, पदेन;
7	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजसमंद	सदस्य, पदेन;
8	उप वन संरक्षक पाली/उदयपुर	सदस्य, पदेन;
9	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजसमंद	सदस्य सचिव, पदेन।

6. निगरानी समिति के कृत्य: -(1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) जो क्रियाकलाप भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में न आती हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में की जा रही हों, इसके पैरा 4 के अधीन तालिका में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा निगरानी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर की जाएंगी और उससे संबंधित नियामक प्राधिकरणों को संदर्भित किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या उपवन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधियों या पणधारियों को, प्रत्येक मामले मे अपेक्षा के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध-VI में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी, इस अधिसूचना के साथ संलग्न है ।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेशों आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

IndiaCode

उपाबंध I

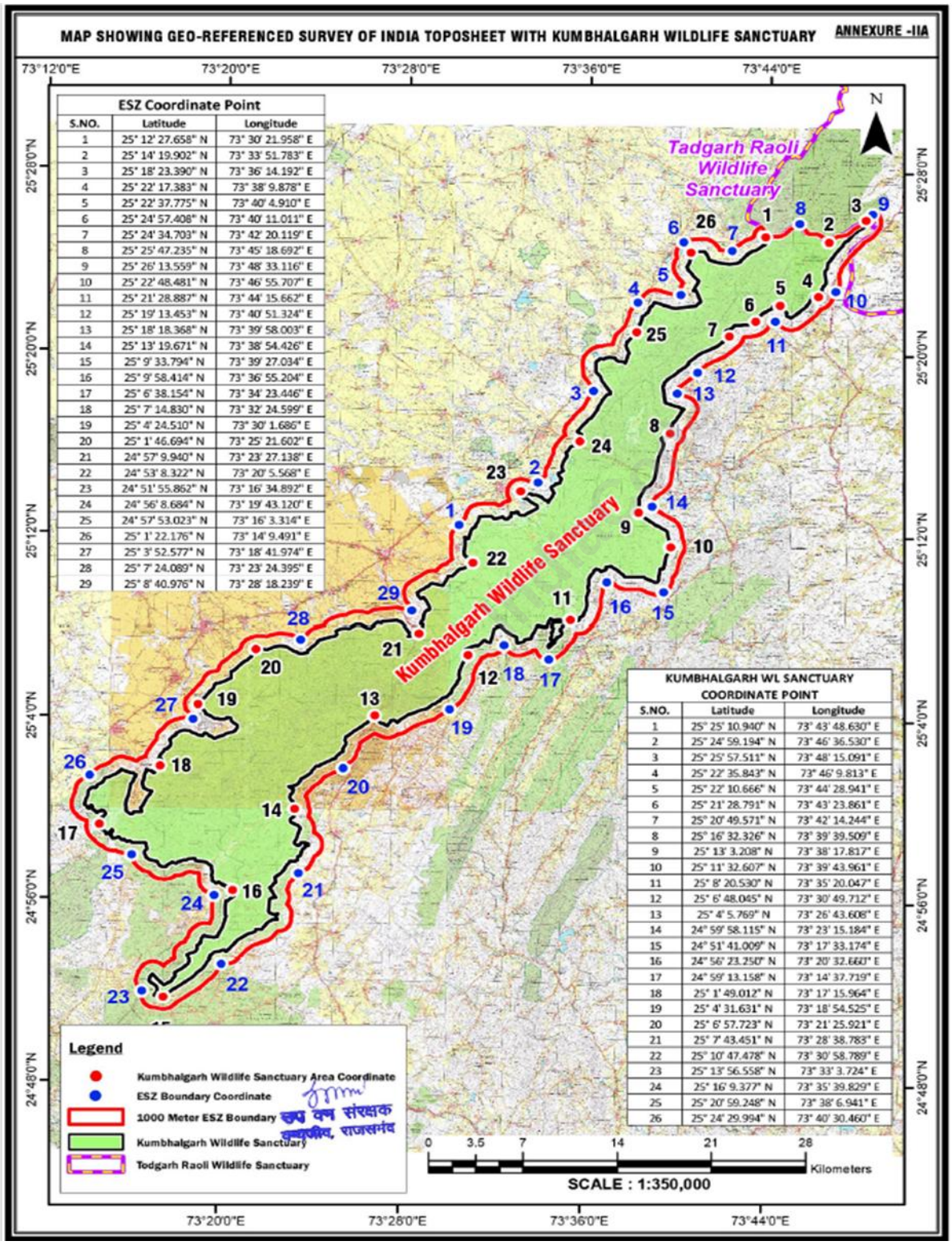
कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का सीमा विवरण

क्र. स.	प्रमुख बिंदु की पहचान	प्रमुख बिंदु का स्थान/दिशा	अक्षांश	देशान्तर
1	जोबा गांव के पास	**पश्चिम**	25° 12' 27.658" उ	73° 30' 21.958" पू
2	फूटर धारागाह गनेराव के पीछे	पश्चिम	25° 14' 19.902" उ	73° 33' 51.783" पू
3	लांपी नदी के पास	पश्चिम	25° 18' 23.390" उ	73° 36' 14.192" पू
4	एसएच-62 रोड के पास	पश्चिम	25° 22' 17.383" उ	73° 38' 9.878" पू
5	काकलावास गांव के पास	पश्चिम	25° 22' 37.775" उ	73° 40' 4.910" पू
6	कोलार डेम के पास	पश्चिम	25° 24' 57.408" उ	73° 40' 11.011" पू
7	गांव की सड़क	पश्चिम	25° 24' 34.703" उ	73° 42' 20.119" पू
8	कोट नदी	उत्तर पश्चिम	25° 25' 47.235" उ	73° 45' 18.692" पू
9	महाराणा प्रताप स्टेचू के पास	उत्तर	25° 26' 13.559" उ	73° 48' 33.116" पू
10	दरदा गांव के पास	पूर्व	25° 22' 48.481" उ	73° 46' 55.707" पू
11	तेजो का गुड़ा गांव के पास	पूर्व	25° 21' 28.887" उ	73° 44' 15.662" पू
12	वीरावली खेतादेवी मंदिर के पास	पूर्व	25° 19' 13.453" उ	73° 40' 51.324" पू
13	हिल्स	पूर्व	25° 18' 18.368" उ	73° 39' 58.003" पू
14	हिल्स	पूर्व	25° 13' 19.671" उ	73° 38' 54.426" पू
15	घाटी	पूर्व	25° 9' 33.794" उ	73° 39' 27.034" पू
16	घाटी	पूर्व	25° 9' 58.414" उ	73° 36' 55.204" पू
17	घाटी	पूर्व	25° 6' 38.154" उ	73° 34' 23.446" पू
18	पहाड़ियाँ	पूर्व	25° 7' 14.830" उ	73° 32' 24.599" पू
19	पहाड़ियाँ	पूर्व	25° 4' 24.510" उ	73° 30' 1.686" पू
20	पहाड़ियाँ	पूर्व	25° 1' 46.694" उ	73° 25' 21.602" पू
21	मदार रोड	पूर्व	24° 57' 9.940" उ	73° 23' 27.138" पू
22	छात्रावास स्कूल	पूर्व -दक्षिण	24° 53' 8.322" उ	73° 20' 5.568" पू
23	पहाड़ी बेड़ा वन ब्लॉक	दक्षिण	24° 51' 55.862" उ	73° 16' 34.892" पू
24	नदी के पास	दक्षिण -पश्चिम	24° 56' 8.684" उ	73° 19' 43.120" पू
25	पहाड़ी	पश्चिम	24° 57' 53.023" उ	73° 16' 3.314" पू
26	गाँव की सड़क	पश्चिम	25° 1' 22.176" उ	73° 14' 9.491" पू
27	मिधारी डेम के पास	पश्चिम	25° 3' 52.577" उ	73° 18' 41.974" पू
28	नदी के पास	पश्चिम	25° 7' 24.089" उ	73° 23' 24.395" पू
29	मगई नदी के पास	पश्चिम	25° 8' 40.976" उ	73° 28' 18.239" पू

indiacode

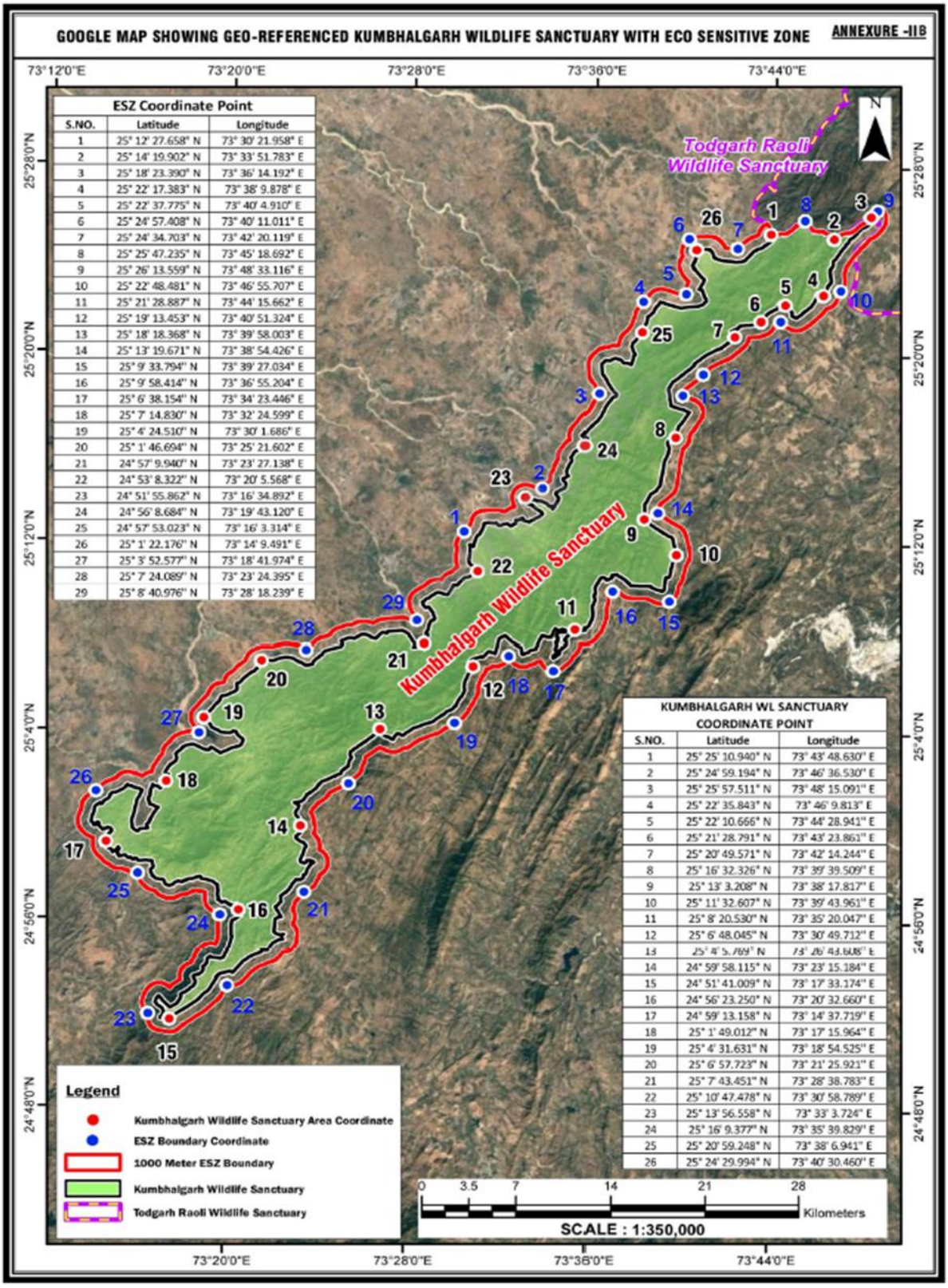
उपाबंध IIक

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र



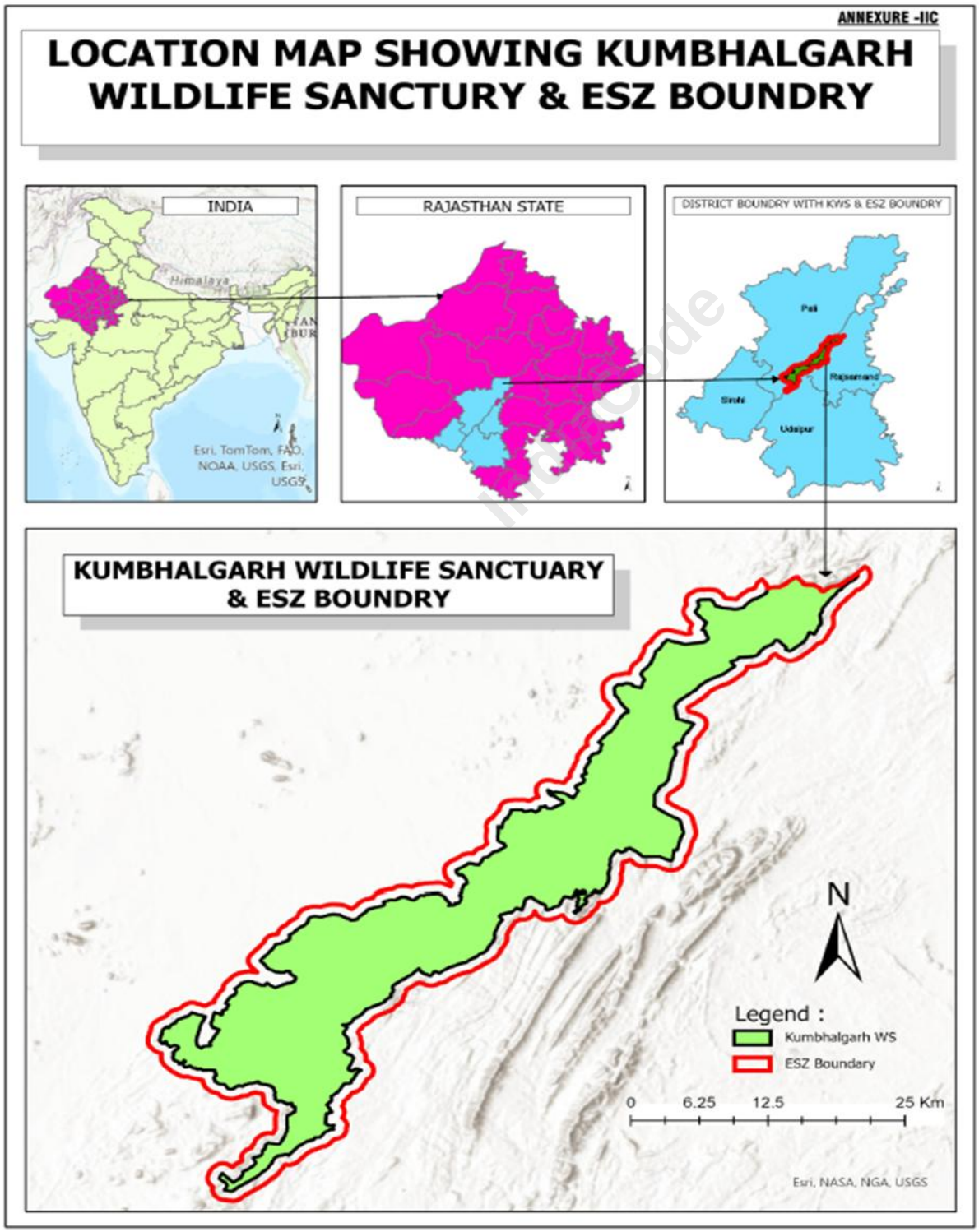
उपाबंध II ख

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध II ग

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का स्थान



उपाबंध III

संरक्षित क्षेत्र के सीमांत भू-निर्देशांक

क्र.स.	अक्षांश	देशान्तर
1	25° 25' 10.940" उ	73° 43' 48.630" पू
2	25° 24' 59.194" उ	73° 46' 36.530" पू
3	25° 25' 57.511" उ	73° 48' 15.091" पू
4	25° 22' 35.843" उ	73° 46' 9.813" पू
5	25° 22' 10.666" उ	73° 44' 28.941" पू
6	25° 21' 28.791" उ	73° 43' 23.861" पू
7	25° 20' 49.571" उ	73° 42' 14.244" पू
8	25° 16' 32.326" उ	73° 39' 39.509" पू
9	25° 13' 3.208" उ	73° 38' 17.817" पू
10	25° 11' 32.607" उ	73° 39' 43.961" पू
11	25° 8' 20.530" उ	73° 35' 20.047" पू
12	25° 6' 48.045" उ	73° 30' 49.712" पू
13	25° 4' 5.769" उ	73° 26' 43.608" पू
14	24° 59' 58.115" उ	73° 23' 15.184" पू
15	24° 51' 41.009" उ	73° 17' 33.174" पू
16	24° 56' 23.250" उ	73° 20' 32.660" पू
17	24° 59' 13.158" उ	73° 14' 37.719" पू
18	25° 1' 49.012" उ	73° 17' 15.964" पू
19	25° 4' 31.631" उ	73° 18' 54.525" पू
20	25° 6' 57.723" उ	73° 21' 25.921" पू
21	25° 7' 43.451" उ	73° 28' 38.783" पू
22	25° 10' 47.478" उ	73° 30' 58.789" पू
23	25° 13' 56.558" उ	73° 33' 3.724" पू
24	25° 16' 9.377" उ	73° 35' 39.829" पू
25	25° 20' 59.248" उ	73° 38' 6.941" पू
26	25° 24' 29.994" उ	73° 40' 30.460" पू

IndiaCode

उपाबंध - IV

वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदी जोन सीमा के भू-समन्वय

क्र.स.	अक्षांश	देशान्तर
1	25° 12' 27.658" उ	73° 30' 21.958" पू
2	25° 14' 19.902" उ	73° 33' 51.783" पू
3	25° 18' 23.390" उ	73° 36' 14.192" पू
4	25° 22' 17.383" उ	73° 38' 9.878" पू
5	25° 22' 37.775" उ	73° 40' 4.910" पू
6	25° 24' 57.408" उ	73° 40' 11.011" पू
7	25° 24' 34.703" उ	73° 42' 20.119" पू
8	25° 25' 47.235" उ	73° 45' 18.692" पू
9	25° 26' 13.559" उ	73° 48' 33.116" पू
10	25° 22' 48.481" उ	73° 46' 55.707" पू
11	25° 21' 28.887" उ	73° 44' 15.662" पू
12	25° 19' 13.453" उ	73° 40' 51.324" पू
13	25° 18' 18.368" उ	73° 39' 58.003" पू
14	25° 13' 19.671" उ	73° 38' 54.426" पू
15	25° 9' 33.794" उ	73° 39' 27.034" पू
16	25° 9' 58.414" उ	73° 36' 55.204" पू
17	25° 6' 38.154" उ	73° 34' 23.446" पू
18	25° 7' 14.830" उ	73° 32' 24.599" पू
19	25° 4' 24.510" उ	73° 30' 1.686" पू
20	25° 1' 46.694" उ	73° 25' 21.602" पू
21	24° 57' 9.940" उ	73° 23' 27.138" पू
22	24° 53' 8.322" उ	73° 20' 5.568" पू
23	24° 51' 55.862" उ	73° 16' 34.892" पू
24	24° 56' 8.684" उ	73° 19' 43.120" पू
25	24° 57' 53.023" उ	73° 16' 3.314" पू
26	25° 1' 22.176" उ	73° 14' 9.491" पू
27	25° 3' 52.577" उ	73° 18' 41.974" पू
28	25° 7' 24.089" उ	73° 23' 24.395" पू
29	25° 8' 40.976" उ	73° 28' 18.239" पू

IndiaCode

उपाबंध - V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले गांवों की सूची भू-निर्देशांक सहित

क्र स.	ग्राम के नाम	तहसील	जिला	अभयारण्य से दूरी (किलोमीटर))	अक्षांश(उ)	देशान्तर(पू)	टिप्पणी
1.	2	3	4	5	6	7	8
2.	कोटड़ा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.0	25°06'26.3"	73°30'50.6"	
3.	पोखरिया	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.0	25°06'59.0"	73°31'12.8"	
4.	दुदालिया	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.10	25°05'51.0"	73°31'06.1"	ग्राम कलथाना में सम्मिलित क्षेत्र
5.	वरदादा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.30	25°05'58.3"	73°31'53.0"	
6.	कलथाना	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.40	25°05'44.1"	73°31'11.4"	
7.	उदावद	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.10	25°07'11.8"	73°32'20.9"	
8.	सियान	कुंभलगढ़	राजसमंद	1.00	25°05'33.9"	73°32'46.1"	
9.	ओगलाट	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.10	25°07'15.8"	73°32'57.4"	कम्बोडा ग्राम में सम्मिलित क्षेत्र.
10.	कंबोदा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.60	25°06'49.4"	73°33'31.1"	
11.	अरेटा की भागल	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.10	25°07'50.0"	73°34'17.6"	
12.	कादियान	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.50	25°06'28.9"	73°34'25.4"	
13.	किला कुंभलगढ़	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.00	25°08'51.9"	73°34'57.3"	
14.	भीड की भागल	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.20	25°07'31.4"	73°35'35.3"	

IndiaCode

15.	केलवाड़ा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.50	25°07'29.4"	73°36'13.0"	
16.	अन्थड़ो की भागल	कुंभलगढ़	राजसमंद	1.00	25°05'33.8"	73°33'51.8"	
17.	नयाखेड़ा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.10	25°10'09.1"	73°36'30.6"	गाँव गवार में सम्मिलित क्षेत्र
18.	सुजाकलेवा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.50	25°09'12.6"	73°36'45.9"	गाँव गवार में सम्मिलित क्षेत्र
19.	गंवार	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.50	25°08'26.5"	73°36'46.5"	
20.	बहेता की भागल	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.60	25°13'20.1"	73°39'27.8"	
21.	निचला घाटडा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.30	25°15'11.5"	73°39'59.7"	
22.	ऊपरी घाटडा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.30	25°15'44.8"	73°39'58.9"	
23.	रूपनगर	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.00	25°16'59.4"	73°40'39.7"	
24.	सकरियो की भागल	कुंभलगढ़	राजसमंद	1.00	25°16'01.8"	73°40'10.8"	ग्राम मनावतों का गुड़ा में सम्मिलित क्षेत्र
25.	आँवली की भागल	कुंभलगढ़	राजसमंद	1.00	25°15'40.6"	73°40'30.0"	लोवे रगथडा ग्राम में सम्मिलित क्षेत्र
26.	पुथिया	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.50	25°17'15.7"	73°40'29.7"	

IndiaCode

27.	घरतलाई	कुंभलगढ़	राजसमंद	1.00	25°31'47.5"	73°46'11.3"	गांव सेवंतरी में सम्मिलित क्षेत्र
28.	कोयला	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.50	25°19'52.2"	73°41'24.9"	
29.	भीलो की तलाई	कुंभलगढ़	राजसमंद	1.00	25°20'09.4"	73°42'01.7"	कोयला गांव में सम्मिलित क्षेत्र
30.	भीलोकीभागल	कुंभलगढ़	राजसमंद	1.00	25°20'14.1"	73°42'10.7"	कोयला गांव में सम्मिलित क्षेत्र .
31.	उमरवास	कुंभलगढ़	राजसमंद	1.00	25°20'23.9"	73°43'02.1"	
32.	तेजो का गुड़ा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.50	25°21'18.3"	73°43'59.4"	ग्राम उमरवास में सम्मिलित क्षेत्र
33.	केसा गुड़ा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.10	25°21'56.2"	73°46'02.7"	ग्राम उमरवास में सम्मिलित क्षेत्र .
34.	बाबाजी किआसन	कुंभलगढ़	राजसमंद	1.00	25°22'19.1"	73°47'52.8"	ग्राम उमरवास में सम्मिलित क्षेत्र .
35.	आसन	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.90	25°22'19.0"	73°46'33.6"	
36.	दरदा	कुंभलगढ़	राजसमंद	0.90	25°22'44.0"	73°46'36.8"	
37.	भगवानपुरा	भीम	राजसमंद	0.00	25°24'06.4"	73°45'35.9"	ग्राम बस्सीदराडा में सम्मिलित क्षेत्र
38.	माडा की बस्सी	भीम	राजसमंद	0.50	25°24'07.8"	73°47'13.9"	

IndiaCode

39.	पीपरेलु	भीम	राजसमंद	0.10	25°24'53.0"	73°47'36.5"	
40.	खेड़ा जस्सा	भीम	राजसमंद	0.10	25°25'11.4"	73°46'03.2"	
41.	सतपालिया	भीम	राजसमंद	0.00	25°25'25.7"	73°4531.8"	ग्राम पिपरेलू में सम्मिलित क्षेत्र
42.	डीवर	भीम	राजसमंद	0.30	25°25'37.5"	73°48'54.0"	
43.	फूटिया	भीम	राजसमंद	0.30	25°25'34.0"	73°48'13.2"	ग्राम डीवर में सम्मिलित क्षेत्र
44.	खरनी टेकरी	देसूरी	पाली	0.00	25°11'31.4"	73°34'53.3"	अभयारण्य क्षेत्र में
45.	मुछाला महावीर	देसूरी	पाली	0.00	25°12'01.0"	73°33'37.6"	अभयारण्य क्षेत्र में
46.	गुड़ा भोपसिंह	देसूरी	पाली	0.50	25°13'00.1"	73°33'51.3"	
47.	जोबा	देसूरी	पाली	1.00	25°12'38.7"	73°30'15.3"	
48.	लापी	देसूरी	पाली	1.00	25°18'47.9"	73°35'42.4"	
49.	कोलार	देसूरी	पाली	1.00	25°24'50.6"	73°39'53.3"	
50.	मगरतलाव	देसूरी	पाली	1.00	25°24'27.0"	73°39'26.4"	
51.	कंकालवास	देसूरी	पाली	0.50	25°22'42.3"	73°40'28.6"	

IndiaCode

52.	सुमेर	देसूरी	पाली	0.00	25°19'53.1"	73°37'09.2"	
53.	सांमरियां	देसूरी	पाली	0.50	25°25'05.1"	73°43'08.8"	
54.	गुड़ा देवड़ा सोलंकियान	देसूरी	पाली	0.25	25°24'07.4"	73°42'03.7"	
55.	गुडा कित्यान	देसूरी	पाली	1.00	25°24'30.3"	73°42'22.0"	
56.	सेवतोका बेरा	बाली	पाली	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	अभयारण्य क्षेत्र में
57.	कुन्नीबावड़ी	बाली	पाली	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	ग्राम सदारी में सम्मिलित क्षेत्र
58.	धानी	बाली	पाली	1.00	25°09'12.1"	73°28'00.1"	ग्राम सदारी में सम्मिलित क्षेत्र
59.	राजपुरा	बाली	पाली	1.00	25°10'24.5"	73°28'49.7"	
60.	जोबा	बाली	पाली	1.00	25°12'39.3"	73°30'14.9"	
61.	मेडिया	बाली	पाली	0.50	25°09'04.5"	73°27'42.0"	ग्राम सदारी में सम्मिलित क्षेत्र
62.	मांडीगढ़	बाली	पाली	0.50	25°11'24.8"	73°30'14.7"	
63.	जाटों का दर्दा	बाली	पाली	0.50	25°10'17.4"	73°27'47.2"	ग्राम सदारी में सम्मिलित क्षेत्र
64.	गोरिया	बाली	पाली	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	

IndiaCode

65.	पावटिया	बाली	पाली	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	ग्राम भाटुन्द में सम्मिलित क्षेत्र
66.	रोणवाड़ा	बाली	पाली	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	ग्राम भाटुन्द में सम्मिलित क्षेत्र
67.	पीपला	बाली	पाली	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	
68.	ढिगापीपला	बाली	पाली	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	ग्राम पीपला में सम्मिलित क्षेत्र
69.	राडिया	बाली	पाली	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	ग्राम सेवारी में सम्मिलित क्षेत्र
70.	कुण्डल	बाली	पाली	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	
71.	कोरवा	बाली	पाली	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	
72.	कडेच	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°51'16.3"	73°17'37.4"	
73.	रिछबारा	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°51'49.9"	73°18'16.8"	
74.	पीपलसारी	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°53'34.7"	73°19'49.3"	ग्राम पदराडा में सम्मिलित क्षेत्र.
75.	चित्रावास	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°53'02.7"	73°20'06.7"	
76.	हेयला	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°53'45.8"	73°21'01.9"	
77.	बलबेरा	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°54'13.8"	73°21'38.9"	ग्राम पदराडा में सम्मिलित क्षेत्र.
78.	बरवाडी	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°56'34.7"	73°22'27.7"	ग्राम पदराडा

IndiaCode

							में सम्मिलित क्षेत्र
79.	मीथिबोर	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	25°03'14.7"	73°26'07.9"	ग्राम मग्गा में सम्मिलित क्षेत्र.
80.	सकरिया	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°51'39.9"	73°19'08.5"	ग्राम पदराडा में सम्मिलित क्षेत्र.
81.	भमरावद	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°53'36.8"	73°19'50.1"	ग्राम पदराडा में सम्मिलित क्षेत्र.
82.	मामादेव(उमरना)	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°55'36.1"	73°22'59.3"	ग्राम उमराना में सम्मिलित क्षेत्र.
83.	गोदारा	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°57'30.4"	73°23'09.9"	ग्राम सयारा में सम्मिलित क्षेत्र
84.	ज्वाराकावाला	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°59'04.4"	73°24'07.8"	ग्राम सयारा में सम्मिलित क्षेत्र
85.	नेवार	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°59'34.0"	73°23'21.6"	ग्राम सयारा में सम्मिलित क्षेत्र .
86.	चावड़ावास	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	25°00'11.7"	73°24'42.4"	ग्राम भूखंड में सम्मिलित क्षेत्र
87.	बौखड़ा	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°00'45.7"	73°24'31.0"	
88.	मग्गा	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	24°02'37.2"	73°25'58.5"	
89.	कोलाजी चौतरा दुदानी	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	25°03'54.2"	73°27'51.0"	ग्राम वागड़ा में सम्मिलित क्षेत्र
90.	राठोडो कागुडा	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	25°03'47.4"	73°28'23.1"	

IndiaCode

91.	बागड़ के फले	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	25°03'54.8"	73°28'35.7"	ग्राम वागड़ा में सम्मिलित क्षेत्र .
92.	भानपुरा के फले	गोगुंदा	उदयपुर	0.50	25°03'11.4"	73°28'39.6"	ग्राम भानपुर में सम्मिलित क्षेत्र .
93.	बरावली	गोगुंदा	उदयपुर	1.00	24°53'34.8"	73°21'24.6"	
94.	टोकरी	गोगुंदा	उदयपुर	1.00	25°04'04.8"	73°29'08.3"	ग्राम भानपुर में सम्मिलित क्षेत्र

IndiaCode

उपाबंध VI

कार्रवाई की गई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख।

2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक संलग्नक में प्रस्तुत करें।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण संलग्नक के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक संलग्नक के रूप में संलग्न करें।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक संलग्नक के रूप में संलग्न करें।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

[फा.सं. 25/08/2020-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, 16 th January,2026

S.O.238 (E).— WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2575 (E), dated the 12th June 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 13th June, 2025;

AND WHEREAS objections and suggestions received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification have been considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary is situated in one of the most fragile ecosystems of the Aravalli range and lies approximately eighty kilometres north of the picturesque Lake City of Udaipur. Geographically, the sanctuary is located between 73°13′ to 73°48′ East longitude and 24°51′ to 25°25′ North latitude. It spans an area of 610.528 square kilometres, covering parts of Rajsamand, Pali, and Udaipur districts in the state of Rajasthan;

AND WHEREAS the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary makes an ecotone between hilly forests of Aravallis and Thar Desert situated in the west. Kumbhalgarh hills acts like a barrier, checking eastward extension of desert. Famous Kumbhalgarh Fort situated atop of a hill is an attraction for tourists. The eastern part of the Sanctuary is mostly ranges having an altitude of more than 3500 feets above sea level, while the western part of the Sanctuary is adjoined to the Marwar plains;

AND WHEREAS the Sanctuary offers diverse topography, adding more to its significance as it also forms a dividing line between the two major watersheds of the country. Its eastern part is considered as source of river Banas, which falls into the Bay of Bengal. The rainwater on the western slope flow in the form of the small rivers like Sukdi, Mithdi, Sumer and Kot, all these forming the tributaries of river Luni which ultimately merges into the Arabian Sea;

AND WHEREAS the sanctuary supports rich and unique biodiversity which is home for species like wild boar (*Sus scrofa*), grey musk shrew (*Sunchus murinus*), bat (*Cyanopterus sphynx*), flying fox (*Pteropus gigenticus*), Common leopard (*Panthera pardus*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), jungle cat (*Felis chaus*), five striped palm squirrel (*Funambulus pennanti*), Indian pangolin (*Manis carassicaudata*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*), blue bull (*Boselaphus tragocamelus*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), chinkara (*Gazella gazella*), jackal (*Canis aureus*), Indian small civet (*Vivaricula indica*) etc. While important birds found in the Sanctuary are painted francolin (*Francolinus pictus*), grey francolin (*F. pondicerianus*), common quail (*Coturnix coturnix*), rain quail (*C. coromadelica*), rock bush quail (*Perdicula argoundah*), yellow-legged button quail (*Turnix tanki*), barred button quail (*T. suscitator*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), ruddy shelduck (*Tadorana ferruginea*), gadwal (*Anas strepera*), common teal (*A. crecca*), garganey (*A. querquedula*), etc.;

AND WHEREAS the major flora found in the Sanctuary are khair (*Acacia catechu*), ronjh (*Acaia leucophloea*), desi bawalia (*Acacia nilotica*), kumta (*Acacia senegal*), haldu (*Adina cordifolia),* bili (*Aegle marmelos*), ardusa, paba (*Ailanthus excelsa*), ankol (*Alangium salvifolium*), black siris (*Albizzia leibbeck*), safed siris (*Albizzia odoratissima*), safed siris (*Albizzia procera*), sitaphal (*Annona sequamosa*), dhokda (*Anogeissus pendula*), dhavda (*Anogeissus latifolia*), adrukh, indok (*Anogeissus sericea*), neem (*Azadirachta indica*), hingot (*Balanites aegyptica*), semal (*Bombax ceiba*), salar (*Boswellia serrata*), khakhro *(Butea monosperma*), karmela (*Cassia fistula*), kasid (*Cassia siamea*), gunda, lisoda (*Cordia mixa*), varna (*Crataeva religiosa*), sissoo (*Dalbergia sissoo*), timru (*Diospyros melanoxylon*), tambolia (*Ehretia laevis*), amla (*Emblica officinalis*), dhed khakhro (*Erythrina suberosa*), umara (*Ficus racemosa*), piplo (*Ficus religiosa*), kankan (*Flacourtia montana*), dikamari (*Gardenia resinifera*), khad dhaman (*Grewia hirsuta*) etc.;

AND WHEREAS it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary of Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary which is specified in paragraph 1 the said notification as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Envirnoment Act) read with sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies as to an extent of zero to one kilometre area around the boundary of Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) the extent of Eco-Sensitive Zone is zero to one kilometre around the boundary of Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary and the area of Eco-sensitive Zone 243 square kilometres. The Zero extent of Eco-sensitive Zone in the northern boundary of Sanctuary is due to common border with the Raoli Todgarh Wildlife Sanctuary. The extent of Eco-sensitive Zone at different directions are:

North	0 kilometre
North- East	1.00 kilometre
East	1.00 kilometre
South-East	1.00 kilometre
South	1.00 kilometre
South-West	1.00 kilometre
West	1.00 kilometre
North-West	1.00 kilometre

(2) The boundary description of Eco-sensitive Zone is appended as Annexure- I.

(3) The maps of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details are appended as Annexure- II A, Annexure-II B and Annexure- II C.

(4) The geo-coordinates of the boundary of protected area and its Eco-sensitive Zone is appended as Annexure- III and Annexure- IV respectively.

(5) The list of 94 villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure- V.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

2. The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

3. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment;
ii. Forest and Wildlife;
iii. Urban Development;
iv. Panchayati Raj and Rural Development;
v. Tourism;
vi. Revenue;
vii. Agriculture;
viii. Rajasthan State Pollution Control Board;
ix. Irrigation and Flood Control;
x. Municipality; and
xi. Public Works and Highways.

4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

7. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

8. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

9. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

IndiaCode

2. Measures to be taken by the State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as: –

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
iii. small scale industries not causing pollution;
iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
v. promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.– The catchment areas of all natural springs or rivers or channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.– (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

a) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

b) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

IndiaCode

c) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

d) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.– All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.– Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.– Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.– Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.– Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.– Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357

(E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b) Safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– Bio medical waste management shall be as under: –

a) The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.– The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and demolition waste management.– The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.– The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.– Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel like CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February, 2016 unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.– The protection of hill slopes shall be as under: –

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.–

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under and other notifications, laws and Acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner specified in the Table below, namely

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	Establishement of new and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commerical Use of firewood	Prohibited.
9.	Erection of new wind mills	Prohibited.
10.	Establishment of large scale commercial livestock and	Prohibited; Provided that small scale poultry farms by local farmers can be established as per Central Pollution

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	poultry farms by firms, company, corporate etc.	Control Board guidelines, 2016.
		B. Regulated Activities
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central Act or State Act and the rules made there under.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	(NTFP).	
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per the applicable law (Underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws
20.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per the applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts to be made for recycle and reuse of treated wastewater. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable law.
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable law.
27.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws

IndiaCode

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
31.	Drastic change of agriculture systems	Regulated as per the applicable laws.
32.	Fencing of premises of hotels and lodges	Regulated as per the applicable laws.
33.	Air, vehicular and noise pollution	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment Act, 1986 the Central Government hereby constitutes a monitoring committee comprise of the following, namely: -

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Rajsamand	Chairman, *ex officio;*
2.	A representative of a Non-governmental organization working in the field of environment or wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the State Government from time to time every three years	Member;
3.	An expert in the area of ecology and environment from a reputed University or Institution to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
4.	Representative of Town Planning Department, Rajsamand	Member*, ex officio;*
5.	Representative of Public Works Department, Rajsamand	Member*, ex officio;*
6.	Sub Divisional Officer Kumbhalgarh/Desuri/Bali/Gogunda	Member*, ex officio;*
7.	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Rajsamand	Member*, ex officio;*
8.	Deputy Conservator of Forest Pali/Udaipur	Member*, ex officio;*
9.	Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Rajsamand	Member Secretary,

ex officio;

6. Functions of Monitoring Committee.–

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-VI, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc:- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Courts or the National Green Tribunal.

ANNEXURE- I

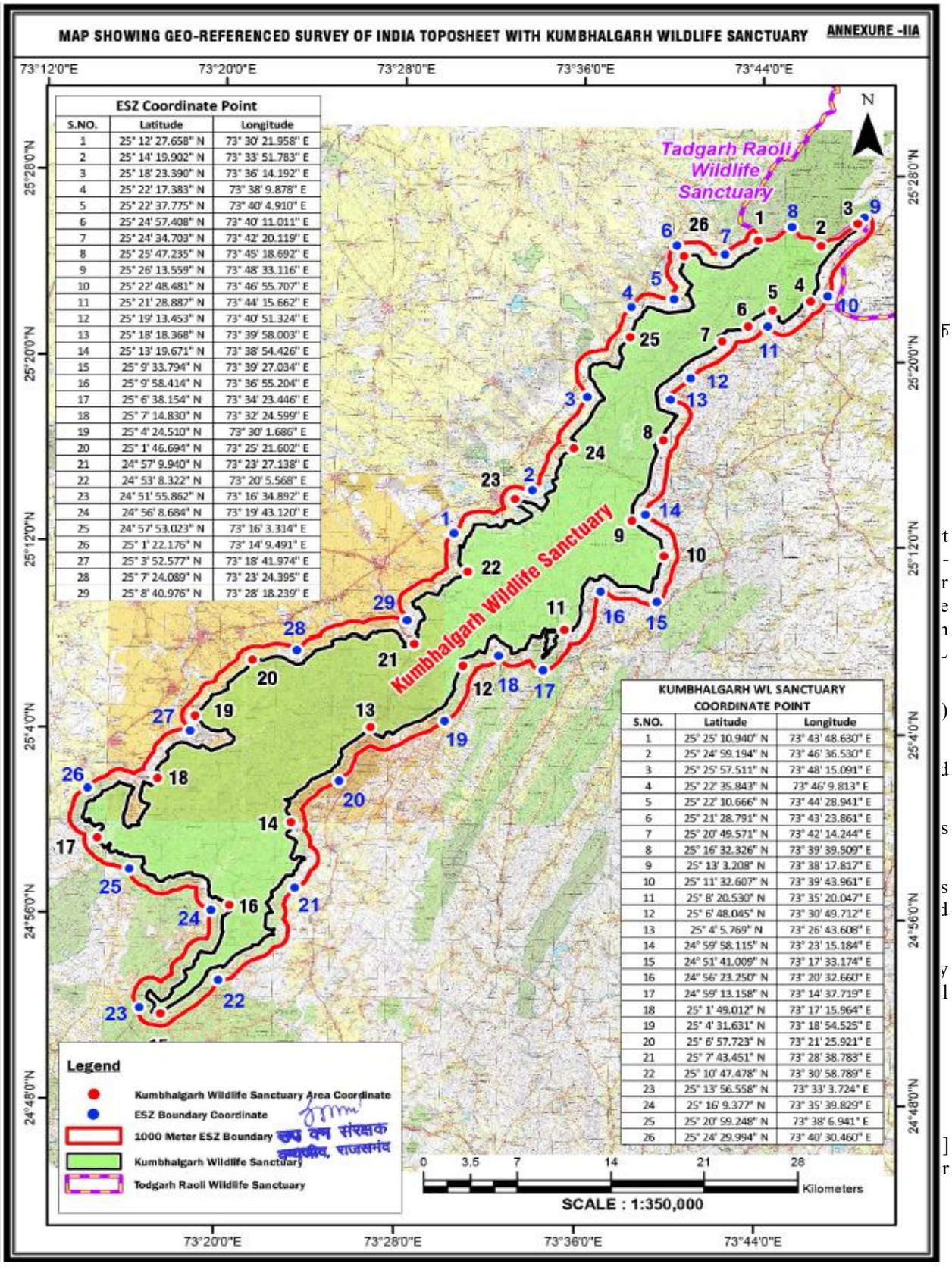
BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KUMBHALGARH WILDLIFE SANCTUARY

S.NO.	Identification of Prominent Point	Location /Direction of Prominent Point	Latitude	Longitude
1	Near Joba Village	West	25° 12' 27.658" N	73° 30' 21.958" E
2	Behind Futer Dharagah Ganerao	West	25° 14' 19.902" N	73° 33' 51.783" E
3	Near Lampi River	West	25° 18' 23.390" N	73° 36' 14.192" E
4	Near SH-62 Road	West	25° 22' 17.383" N	73° 38' 9.878" E
5	Near Kakalawas village	West	25° 22' 37.775" N	73° 40' 4.910" E
6	Near Kolar Dem	West	25° 24' 57.408" N	73° 40' 11.011" E
7	Village Road	West	25° 24' 34.703" N	73° 42' 20.119" E
8	Kot river	North West	25° 25' 47.235" N	73° 45' 18.692" E
9	Near Maharana Pratap stechu	North	25° 26' 13.559" N	73° 48' 33.116" E
10	Near Darada Village	East	25° 22' 48.481" N	73° 46' 55.707" E
11	Near Tejo ka Guda village	East	25° 21' 28.887" N	73° 44' 15.662" E
12	Near Veeravali khetadevi temple	East	25° 19' 13.453" N	73° 40' 51.324" E
13	Hills	East	25° 18' 18.368" N	73° 39' 58.003" E
14	Hills	East	25° 13' 19.671" N	73° 38' 54.426" E
15	Valley	East	25° 9' 33.794" N	73° 39' 27.034" E
16	Valley	East	25° 9' 58.414" N	73° 36' 55.204" E
17	Valley	East	25° 6' 38.154" N	73° 34' 23.446" E
18	Hills	East	25° 7' 14.830" N	73° 32' 24.599" E
19	Hills	East	25° 4' 24.510" N	73° 30' 1.686" E
20	Hills	East	25° 1' 46.694" N	73° 25' 21.602" E
21	Madar Raod	East	24° 57' 9.940" N	73° 23' 27.138" E
22	Chatrawas School	East-south	24° 53' 8.322" N	73° 20' 5.568" E
23	Hill Beda forest Block	South	24° 51' 55.862" N	73° 16' 34.892" E
24	Near River	South-west	24° 56' 8.684" N	73° 19' 43.120" E
25	Hill	west	24° 57' 53.023" N	73° 16' 3.314" E
26	Village Road	west	25° 1' 22.176" N	73° 14' 9.491" E
27	Near Midhari Dem	west	25° 3' 52.577" N	73° 18' 41.974" E
28	Near River	west	25° 7' 24.089" N	73° 23' 24.395" E
29	Near Magai River	west	25° 8' 40.976" N	73° 28' 18.239" E

indiacode

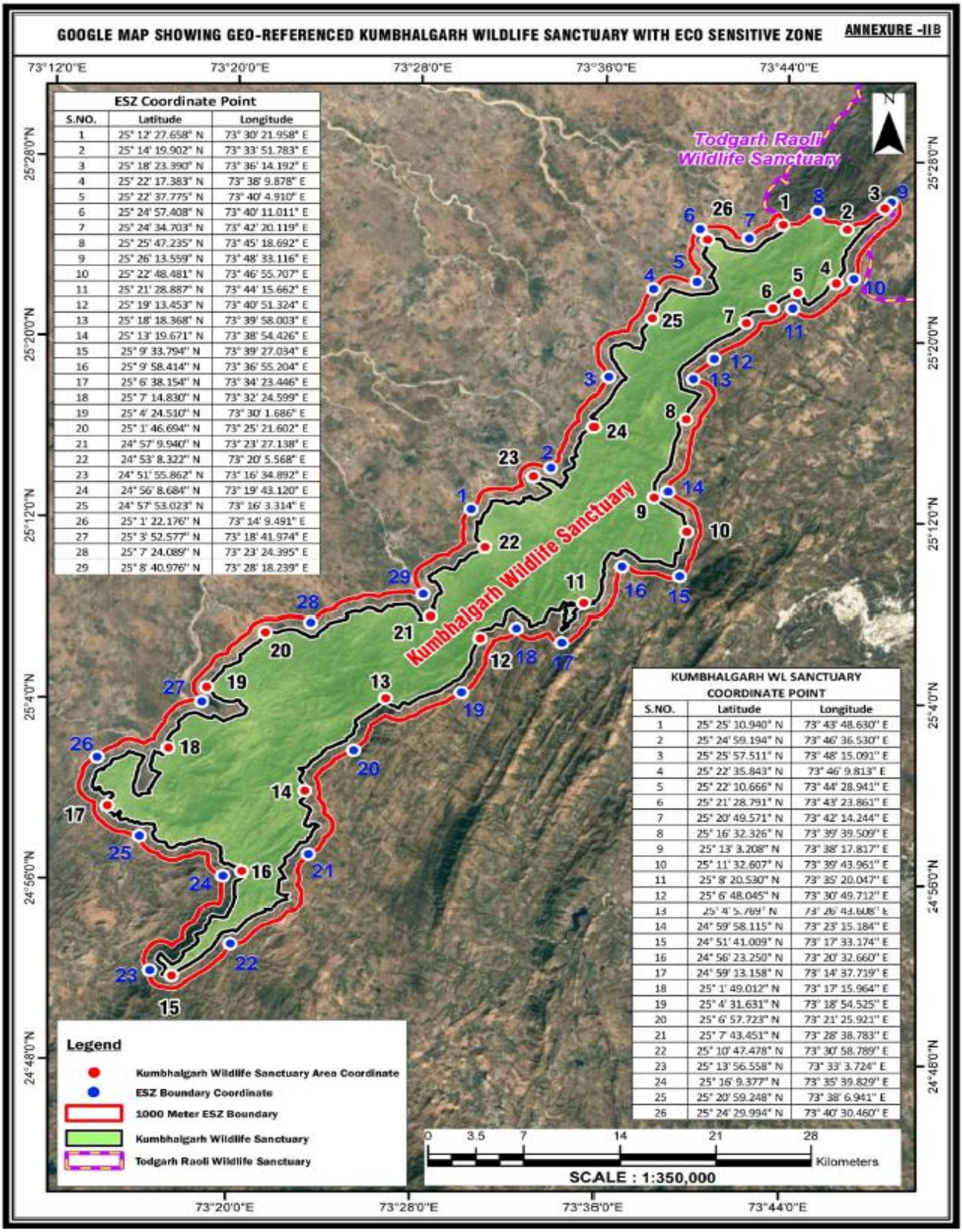
ANNEXURE- II A

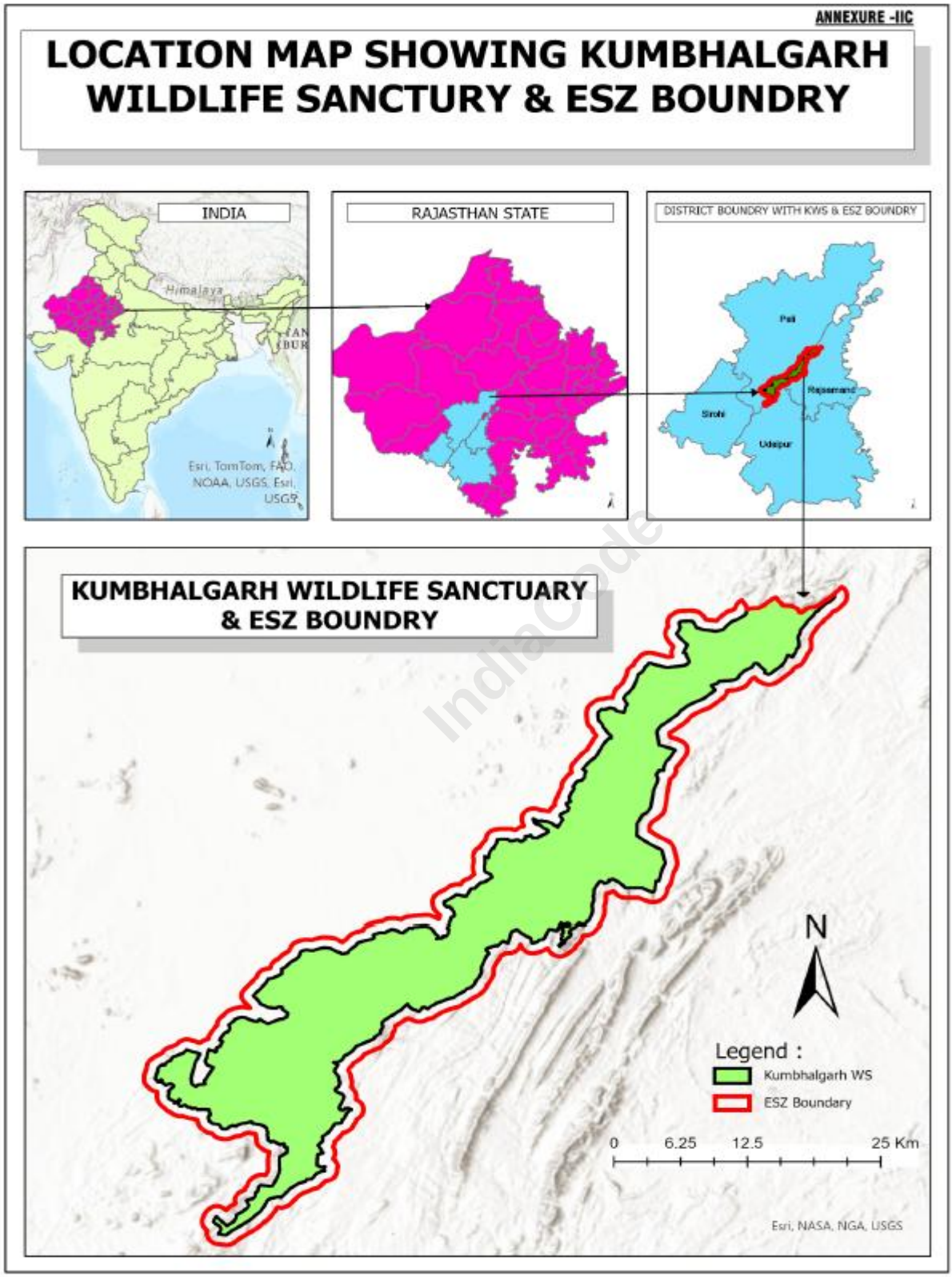
TOPOSHEET MAP OF THE KUMBHALGARH WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ESZ



ANNEXURE- II B

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KUMBHALGARH WILDLIFE SANCTUARY




ANNEXURE -IIC
LOCATION MAP SHOWING KUMBHALGARH WILDLIFE SANCTURY & ESZ BOUNDRY
INDIA
Himalaya
Esri, TomTom, FAO, NOAA, USGS, Esri, USGS
RAJASTHAN STATE
DISTRICT BOUNDRY WITH KWS & ESZ BOUNDRY
Pali
Rajsamand
Sirohi
Udaipur
KUMBHALGARH WILDLIFE SANCTUARY & ESZ BOUNDRY
N
Legend :
Kumbhalgarh WS
ESZ Boundary
0 6.25 12.5 25 Km
Esri, NASA, NGA, USGS

ANNEXURE- III

BOUNDARY GEOCOORDINATES OF THE PROTECTED AREA

S.NO.	Latitude	Longitude
1	25° 25' 10.940" N	73° 43' 48.630" E
2	25° 24' 59.194" N	73° 46' 36.530" E
3	25° 25' 57.511" N	73° 48' 15.091" E
4	25° 22' 35.843" N	73° 46' 9.813" E
5	25° 22' 10.666" N	73° 44' 28.941" E
6	25° 21' 28.791" N	73° 43' 23.861" E
7	25° 20' 49.571" N	73° 42' 14.244" E
8	25° 16' 32.326" N	73° 39' 39.509" E
9	25° 13' 3.208" N	73° 38' 17.817" E
10	25° 11' 32.607" N	73° 39' 43.961" E
11	25° 8' 20.530" N	73° 35' 20.047" E
12	25° 6' 48.045" N	73° 30' 49.712" E
13	25° 4' 5.769" N	73° 26' 43.608" E
14	24° 59' 58.115" N	73° 23' 15.184" E
15	24° 51' 41.009" N	73° 17' 33.174" E
16	24° 56' 23.250" N	73° 20' 32.660" E
17	24° 59' 13.158" N	73° 14' 37.719" E
18	25° 1' 49.012" N	73° 17' 15.964" E
19	25° 4' 31.631" N	73° 18' 54.525" E
20	25° 6' 57.723" N	73° 21' 25.921" E
21	25° 7' 43.451" N	73° 28' 38.783" E
22	25° 10' 47.478" N	73° 30' 58.789" E
23	25° 13' 56.558" N	73° 33' 3.724" E
24	25° 16' 9.377" N	73° 35' 39.829" E
25	25° 20' 59.248" N	73° 38' 6.941" E
26	25° 24' 29.994" N	73° 40' 30.460" E

IndiaCode

ANNEXURE- IV

GEOCOORDINATES OF ESZ BOUNDARY AROUND WILDLIFE SANCTUARY

S.NO.	Latitude	Longitude
1	25° 12' 27.658" N	73° 30' 21.958" E
2	25° 14' 19.902" N	73° 33' 51.783" E
3	25° 18' 23.390" N	73° 36' 14.192" E
4	25° 22' 17.383" N	73° 38' 9.878" E
5	25° 22' 37.775" N	73° 40' 4.910" E
6	25° 24' 57.408" N	73° 40' 11.011" E
7	25° 24' 34.703" N	73° 42' 20.119" E
8	25° 25' 47.235" N	73° 45' 18.692" E
9	25° 26' 13.559" N	73° 48' 33.116" E
10	25° 22' 48.481" N	73° 46' 55.707" E
11	25° 21' 28.887" N	73° 44' 15.662" E
12	25° 19' 13.453" N	73° 40' 51.324" E
13	25° 18' 18.368" N	73° 39' 58.003" E
14	25° 13' 19.671" N	73° 38' 54.426" E
15	25° 9' 33.794" N	73° 39' 27.034" E
16	25° 9' 58.414" N	73° 36' 55.204" E
17	25° 6' 38.154" N	73° 34' 23.446" E
18	25° 7' 14.830" N	73° 32' 24.599" E
19	25° 4' 24.510" N	73° 30' 1.686" E
20	25° 1' 46.694" N	73° 25' 21.602" E
21	24° 57' 9.940" N	73° 23' 27.138" E
22	24° 53' 8.322" N	73° 20' 5.568" E
23	24° 51' 55.862" N	73° 16' 34.892" E
24	24° 56' 8.684" N	73° 19' 43.120" E
25	24° 57' 53.023" N	73° 16' 3.314" E
26	25° 1' 22.176" N	73° 14' 9.491" E
27	25° 3' 52.577" N	73° 18' 41.974" E
28	25° 7' 24.089" N	73° 23' 24.395" E
29	25° 8' 40.976" N	73° 28' 18.239" E

IndiaCode

ANNEXURE- V

List of Villages falling within the ESZ along with Geo-coordinates

S. no.	Village Name	Tehsil	District	Distance from Sanctuary (kilometre)	Latitude(N)	Longitude(E)	Remark
1.	2	3	4	5	6	7	8
2.	Kotada	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.0	25°06'26.3"	73°30'50.6"	
3.	Pokariya	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.0	25°06'59.0"	73°31'12.8"	
4.	Dudaliya	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.10	25°05'51.0"	73°31'06.1"	Area includedin Village Kalthana
5.	Vardada	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.30	25°05'58.3"	73°31'53.0"	
6.	Kalthana	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.40	25°05'44.1"	73°31'11.4"	
7.	Udawad	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.10	25°07'11.8"	73°32'20.9"	
8.	Siyan	Kumbhalgarh	Rajsamand	1.00	25°05'33.9"	73°32'46.1"	
9.	Oglaat	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.10	25°07'15.8"	73°32'57.4"	Area included in village kamboda.
10.	Kamboda	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.60	25°06'49.4"	73°33'31.1"	
11.	Aareta ki bhagal	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.10	25°07'50.0"	73°34'17.6"	
12.	Kadiyan	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.50	25°06'28.9"	73°34'25.4"	
13.	Qila Kumbhalgarh	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.00	25°08'51.9"	73°34'57.3"	
14.	Bheed ki bhagal	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.20	25°07'31.4"	73°35'35.3"	
15.	Kelwada	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.50	25°07'29.4"	73°36'13.0"	
16.	Anthado ki bhagal	Kumbhalgarh	Rajsamand	1.00	25°05'33.8"	73°33'51.8"	

IndiaCode

17.	Nayakheda	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.10	25°10'09.1"	73°36'30.6"	Area included in Village gavar.
18.	Sujakaleva	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.50	25°09'12.6"	73°36'45.9"	Area included in Village gavar.
19.	Ganwar	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.50	25°08'26.5"	73°36'46.5"	
20.	Baheta ki Bhagal	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.60	25°13'20.1"	73°39'27.8"	
21.	Lower Ghatda	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.30	25°15'11.5"	73°39'59.7"	
22.	Upper Ghatda	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.30	25°15'44.8"	73°39'58.9"	
23.	Rupnagar	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.00	25°16'59.4"	73°40'39.7"	
24.	Sakariyo ki bhagal	Kumbhalgarh	Rajsamand	1.00	25°16'01.8"	73°40'10.8"	Area included in village manavto ka guda
25.	Anvali ki bhagal	Kumbhalgarh	Rajsamand	1.00	25°15'40.6"	73°40'30.0"	Area in cludedin village low e rgathda.
26.	Puthiya	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.50	25°17'15.7"	73°40'29.7"	
27.	Ghaartalai	Kumbhalgarh	Rajsamand	1.00	25°31'47.5"	73°46'11.3"	Area included in Village Sevantri.
28.	Koyla	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.50	25°19'52.2"	73°41'24.9"	
29.	Bheelo ki talai	Kumbhalgarh	Rajsamand	1.00	25°20'09.4"	73°42'01.7"	Area included in Village Koyla.
30.	Bheelokibhagal	Kumbhalgarh	Rajsamand	1.00	25°20'14.1"	73°42'10.7"	Area included in Villag eKoyla.
31.	Umarvaas	Kumbhalgarh	Rajsamand	1.00	25°20'23.9"	73°43'02.1"	
32.	Tejo ka guda	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.50	25°21'18.3"	73°43'59.4"	Area included in

IndiaCode

							Village Umarvaas.
33.	Kesa guda	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.10	25°21'56.2"	73°46'02.7"	Area includedin Village Umarvaas.
34.	Babaji kiaasan	Kumbhalgarh	Rajsamand	1.00	25°22'19.1"	73°47'52.8"	Area included in village Umarvaas.
35.	Aasan	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.90	25°22'19.0"	73°46'33.6"	
36.	Darada	Kumbhalgarh	Rajsamand	0.90	25°22'44.0"	73°46'36.8"	
37.	Bhagawan pura	Bhim	Rajsamand	0.00	25°24'06.4"	73°45'35.9"	Area included in Village bassidarada.
38.	Mada ki bassi	Bhim	Rajsamand	0.50	25°24'07.8"	73°47'13.9"	
39.	Peeprelu	Bhim	Rajsamand	0.10	25°24'53.0"	73°47'36.5"	
40.	Kheda Jassa	Bhim	Rajsamand	0.10	25°25'11.4"	73°46'03.2"	
41.	Satpaliya	Bhim	Rajsamand	0.00	25°25'25.7"	73°4531.8"	Area includedin Village Piprelu
42.	Deever	Bhim	Rajsamand	0.30	25°25'37.5"	73°48'54.0"	
43.	Futiya	Bhim	Rajsamand	0.30	25°25'34.0"	73°48'13.2"	Area includedin Village Diver
44.	Kharni Tekri	Desuri	Pali	0.00	25°11'31.4"	73°34'53.3"	In sanctuary area
45.	Muchala Mahavir	Desuri	Pali	0.00	25°12'01.0"	73°33'37.6"	In sanctuary area
46.	Guda BhopSingh	Desuri	Pali	0.50	25°13'00.1"	73°33'51.3"	
47.	Joba	Desuri	Pali	1.00	25°12'38.7"	73°30'15.3"	
48.	Laapi	Desuri	Pali	1.00	25°18'47.9"	73°35'42.4"	
49.	Kolar	Desuri	Pali	1.00	25°24'50.6"	73°39'53.3"	

IndiaCode

50.	MagarTalaav	Desuri	Pali	1.00	25°24'27.0"	73°39'26.4"	
51.	Kankalvaas	Desuri	Pali	0.50	25°22'42.3"	73°40'28.6"	
52.	Sumer	Desuri	Pali	0.00	25°19'53.1"	73°37'09.2"	
53.	Saanmriyan	Desuri	Pali	0.50	25°25'05.1"	73°43'08.8"	
54.	Guda Devda Solankiyaan	Desuri	Pali	0.25	25°24'07.4"	73°42'03.7"	
55.	Guda Kityan	Desuri	Pali	1.00	25°24'30.3"	73°42'22.0"	
56.	Sevato ka Bera	Desuri	Pali	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	In sanctuary area
57.	Kunni Bavadi	Desuri	Pali	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	Area included in Village Sadari
58.	Dhaani	Desuri	Pali	1.00	25°09'12.1"	73°28'00.1"	Area included in Village Sadari
59.	Rajpura	Desuri	Pali	1.00	25°10'24.5"	73°28'49.7"	
60.	Joba	Desuri	Pali	1.00	25°12'39.3"	73°30'14.9"	
61.	Mediya	Desuri	Pali	0.50	25°09'04.5"	73°27'42.0"	Area included in Village Sadari
62.	Mandigarh	Desuri	Pali	0.50	25°11'24.8"	73°30'14.7"	
63.	Jaaton ka Darda	Desuri	Pali	0.50	25°10'17.4"	73°27'47.2"	Area included in village Sadari
64.	Goriya	Bali	Pali	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	
65.	Pavatiya	Bali	Pali	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	Area included in Village Bhatund
66.	Ronwada	Bali	Pali	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	Area included in

IndiaCode

							Village Bhatund
67.	Pipala	Bali	Pali	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	
68.	DhigaPipla	Bali	Pali	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	Area includedin Village Peepla
69.	Radiya	Bali	Pali	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	Area included in village Sewari
70.	Kundaal	Bali	Pali	0.50	25°08'10.3"	73°26'21.1"	
71.	Korvaa	Bali	Pali	0.50	25°09'28.0"	73°28'31.2"	
72.	Kadech	Sayara	Udaipur	0.50	24°51'16.3"	73°17'37.4"	
73.	Richbara	Sayara	Udaipur	0.50	24°51'49.9"	73°18'16.8"	
74.	Pipalsari	Sayara	Udaipur	0.50	24°53'34.7"	73°19'49.3"	Area includedin Village padrada.
75.	Chitrawas	Sayara	Udaipur	0.50	24°53'02.7"	73°20'06.7"	
76.	Hayla	Sayara	Udaipur	0.50	24°53'45.8"	73°21'01.9"	
77.	Balabera	Sayara	Udaipur	0.50	24°54'13.8"	73°21'38.9"	Area included in Village padrada.
78.	Barwadi	Sayara	Udaipur	0.50	24°56'34.7"	73°22'27.7"	Area included in Village padrada.
79.	Meethibor	Sayara	Udaipur	0.50	25°03'14.7"	73°26'07.9"	Area included in Village magga.
80.	Sakriya	Sayara	Udaipur	0.50	24°51'39.9"	73°19'08.5"	Areaincluded in Village padrada.
81.	Bhamrawad	Sayara	Udaipur	0.50	24°53'36.8"	73°19'50.1"	Area included in Village padrada.

IndiaCode

82.	Mamadev(Umarnaa)	Sayara	Udaipur	0.50	24°55'36.1"	73°22'59.3"	Area included in Village Umarana.
83.	Godara	Sayara	Udaipur	0.50	24°57'30.4"	73°23'09.9"	Area included in Village Sayara.
84.	Jwarakawala	Sayara	Udaipur	0.50	24°59'04.4"	73°24'07.8"	Area included in Village Sayara.
85.	Newar	Sayara	Udaipur	0.50	24°59'34.0"	73°23'21.6"	Area included in Village Sayara.
86.	Chawdawas	Sayara	Udaipur	0.50	25°00'11.7"	73°24'42.4"	Area included in Village bookhada.
87.	Baukhada	Sayara	Udaipur	0.50	24°00'45.7"	73°24'31.0"	
88.	Magga	Sayara	Udaipur	0.50	24°02'37.2"	73°25'58.5"	
89.	Kolaji Chautra Dudani	Sayara	Udaipur	0.50	25°03'54.2"	73°27'51.0"	Areainclude din Village vaagda.
90.	Rathodo kaGuda	Sayara	Udaipur	0.50	25°03'47.4"	73°28'23.1"	
91.	Bagarh ke fale	Sayara	Udaipur	0.50	25°03'54.8"	73°28'35.7"	Area included in Village vaagda.
92.	Bhanpura ke fale	Sayara	Udaipur	0.50	25°03'11.4"	73°28'39.6"	Area included in Village bhanpur.
93.	Barawali	Sayara	Udaipur	1.00	24°53'34.8"	73°21'24.6"	
94.	Tokri	Sayara	Udaipur	1.00	25°04'04.8"	73°29'08.3"	Area included in village bhanpur.

IndiaCode

ANNEXURE- VI

PROFORMA OF ACTION TAKEN REPORT

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F.No. 25/8/2020-ESZ]

DR. S. KERKETTA, Scientist-G

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.16 14:54:49 +05'30'